



दूरभाष:- 286709

286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: 3254/76/10/छ:/तक०/विविध/2012-13

दिनांक:- 22/11/2017

समस्त सहा० परि० अधि०/परि० अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
उ०प्र०।

विषय:- मुख्य मंत्री अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजना शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर उसके स्थान पर शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012 टी०सी० दिनांक 26.10.2017 द्वारा "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना" आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की अल्पविकसित एवं मलिन बस्तियों (प्राइवेट सोसाइटी/डेवलपर्स द्वारा बसायी गयी बस्ती को छोड़कर) सी०सी० रोड अथवा इण्टरलॉकिंग अथवा नाली निर्माण पेय जल, मार्ग प्रकाश व अन्य सुविधाओं की स्थापना का कार्य किया जायेगा। "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अनुमोदन उपरान्त ही सूडा को प्रेषित किया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तुत कार्य डूडा के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्य के लिये डूडा द्वारा अनुमन्य नहीं है।
2. शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अन्तर्गत चयनित मुख्यमंत्री अल्पविकसित तथा मलिन बस्ती में जो नगर निकाय/नगर पालिका परिषद आबादी क्षेत्र के अन्दर के मार्ग व गलियां जो सम्पर्क मार्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं और जिन पर हैवी/कार्मशियल व्हीकल नहीं चलते हैं, उनकी पूरी चौड़ाई को आच्छादित करते हुए नाली, इण्टरलॉकिंग एवं सी०सी० रोड का आगणन प्रस्तुत किया जाये।
3. सी०सी० रोड का निर्माण कार्य ऐसे मार्गों पर कराया जाये जहां प्रायः जल भराव की समस्या हो।
4. कार्यदायी विभाग द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी, जिसमें विभिन्न मदों की दर संबंधित जनपद में लो०नि०वि० के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित शेड्यूल आफ रेट्स (यदि उपलब्ध हों) के आधार पर ली जाय तथा मदों की मात्रा की गणना ड्राइंग के अनुसार स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई एवं लम्बाई के अनुसार आगणित की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 व शासनादेश संख्या-ई-8-158/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
5. "मुख्यमंत्री नगरीय मलिन बस्ती में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का आधार संबंधित अधिकारी के माध्यम से प्रेषित समुचित प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए योजना की गाइडलाइन के आधार पर प्रस्तुत किया जाये, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बाहुल्यता वाली बस्ती चयनित होगी। इन बस्तियों में अनुसूचित जाति की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक होना अपरिहार्य है। तथा प्रश्नगत बस्ती अनुदान संख्या-83 में है, स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
6. **वित्त पोषण:-** अल्पविकसित व मलिन बस्तियों में कराये जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण, अनुदान संख्या-37 से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में कराये जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण अनुदान सं०-83 से किया जायेगा। अनुदान सं०-83 से धनराशि का व्यय/उपयोग किये जाने हेतु एस०सी०एस०पी० के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आगणन में ली गयी सड़क/नाली का विस्तृत "Key Plan" मांप सहित नार्थ व लेबल दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाये तथा जल निकासी का अंतिम डिस्पोजल प्लांट भी दर्शाया जाये।



दूरभाष:- 286709
286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०
नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

8. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, द्वारा जिला स्तर पर नामित अधिशासी अभियन्ता से आगणन का परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।
9. परियोजना के कार्यों के प्रस्ताव में स्थल पर उपलब्ध सामग्रियों का मूल्य प्रस्तावित आगणन में घटाने का प्राविधान करते हुए डी०पी०आर० गठित किया जाये।
10. डूडा द्वारा कराये गये कार्य संबंधित निकाय को हस्तान्तरित किये जाने के उपरान्त ही संबंधित ठेकेदार की सिक्वोरिटी अवमुक्त की जायेगी।
11. प्रस्तावित कार्य किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान में किसी अन्य विभाग द्वारा प्रस्तावित/स्वीकृत है तथा किसी भी प्रकार के विवाद से रहित है। इस आशय का जनपदीय कार्यदायी विभागों के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र आगणन के साथ संलग्न किये जायें।
12. समस्त कार्य ई-टेण्डरिंग के माध्यम से पूर्व निर्गत शासनादेश सं०-1067/75/2-2017/42 आई०टी०/2017 दिनांक 12.05.2017 के अनुसार कराया जायेगा। ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा प्रकाशित करने/खोलने के संबंध में शासनादेश सं०-3/2017/1067/78-2-2017-42 आई०टी०/2017 दिनांक 12.05.2017 के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रस्तावित आगणन/डी०पी०आर० में नियमानुसार जी०एस०टी०/लेबर सेस एवं सेन्टेज का प्राविधान किया जाये।
14. प्रस्तावित कार्य स्थल की अक्षांश एवं देशान्तर (Longitude & Latitude) के कलर फोटोग्राफ जो परियोजना अधिकारी/अभियन्ताओं-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012 टी०सी० दिनांक 26.10.2017 के हस्ताक्षर सहित आगणन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
15. आगणन में प्रयुक्त दरों के सत्यापन हेतु पी०डब्लू०डी० एस०ओ०आर० साथ में संलग्न करना होगा।
16. दरों के वर्गीकरण (Analysis of Rates) केवल उन्हीं मदों का किया जायेगा, जो एस०ओ०आर० में उपलब्ध न हों, अपरिहार्य स्थिति में Analysis लो०नि०वि० के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित प्रति ही अनुमन्य होगी।
17. वित्तीय व भौतिक प्रगति में मानक के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता (गुणवत्ता, मात्रा एवं समय) सुनिश्चित किया जाये।
उक्त सभी बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:-यथोक्त।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) उ०प्र०।
2. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ०प्र०।
3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) उ०प्र०।
4. कार्यक्रम अधिकारी, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ०प्र०।
5. अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ०प्र०।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक